जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (लेआउट प्लान) की 227 वीं बैठक दिनांक 10.04.2015 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर
2. श्रीमति लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर
3. श्री एम.एस.. रत्नु , अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम एव भूमि), जविप्रा, जयपुर
4. श्री नीरज तिवाड़ी, सदस्य सचिव, भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :–

1. **श्री सी.एस.पाराशर,अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(मास्टर प्लान)**
2. **श्रीमति आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान),**
3. **श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी (ले आउट प्लान)**
4. **श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त जोन –2**
5. **श्री सुभाष महरिया, उपायुक्त जोन–4,**
6. **श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन–13,**
7. **श्री एन.एस.तंवर, उपायुक्त जोन –15,**
8. **श्री जगवीर सिंह, उपायुक्त जोन– 19,**
9. **श्री प्रभात गोस्वामी, विशेषाधिकारी , जनसम्पर्क**
10. **श्री मृणाल जोशी, उप नगर नियोजक (मास्टर प्लान)**
11. सहायक नगर नियोजक, जोन–5,7,15,19

एजेण्डा संख्याः–1

227 / 10.04.2015

विषयः– बीपीसी (एलपी) की 226 वीं बैठक दिनांक 10.3.2015 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि हेतु।

समिति द्वारा बीपीसी (एल पी) की 226 वीं बैठक दिनांक 10.3.2015 के एजेन्डा संख्या 8 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते समय निम्नानुसार संशोधन किया जाने का निर्णय लिया गया । प्लानिंग जोन 12, 15 व 16 के रोड नेटवर्क प्लान को 30 अप्रेल तक तैयार कर इन पर आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाएं । इसी प्रकार प्लानिंग ज़ोन 11,13,व 14 जोनल डवलपमेंट प्लान के स्थान पर रोड नेटवर्क शीघ्रता से तैयार किये जाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाएं। समिति द्वारा शेष कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्याः–2 (जोन–02)

227 / 10.04.2015

विषयः– भूखण्ड संख्या 24, 24ए एवं 25, यूनिट नम्बर–2, जय अम्बे गृह निर्माण सहकारी समिति (विकास समिति द्वारा प्रस्तुत) के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जय अम्बे गृ.नि.स.स यूनिट नं. 2 के भूखण्ड संख्या 24, 24ए ,व 25 को पूर्वानुमोदन अनुरूप यथावत रखा जाएं।

एजेण्डा संख्याः–3 (जोन–04)
227 / 10.04.2015

विषयः– दी राजहंस कॉपरेटिव हाउसिंग सो. लि. की योजना कैलाशपुरी के भूखण्ड संख्या 26–ए के अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि चूंकि सुभाष सिन्धी गृ.नि.स.स की अनुमोदित योजना जय अम्बे कालोनी के भूखण्ड संख्या बी – 12 की लीज डीड जारी की जा चुकी है, एवं इस भूखण्ड पर मकान बन चुका है, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए दी राजहंस को आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के भूखण्ड संख्या 26 ए को अनुमोदित कर दिया जाए।

एजेण्डा संख्याः–4 (जोन–05)
227 / 10.04.2015

विषयः– पथिक भवन गृ.नि.स. समिति योजना सूर्य नगर में भू.सं. 65, 65ए, 65बी पूर्वी व पश्चिमी उपविभाजन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन के प्रस्तावनुसार पूर्व में पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 65, 65 ए, 65 बी को उपविभाजित किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–5 (जोन–07)
227 / 10.04.2015

विषयः– तोपखाना गृ.नि.स.स. की योजना नेमी नगर विस्तार के भू.सं. 18–ए, 18–बी, 19 व 30, 30–ए, व 30–बी के बीपीसी एलपी की 225वीं बैठक में लिये गये निर्णय के करने सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पूर्व में बीपीसी (एल पी)की बैठक दिनांक 13.2.2015 में भूखण्ड संख्या 18 ए, 18 बी , 19 व 30 ,30ए व 30 बी को त्रुटिवश पार्क रखे जाने का निर्णय लिया गया था, जबकि फाईनल अनुमोदित मानचित्र में ये भूखण्ड अनुमोदित है। अतएव इन भूखण्डो को पूर्व में फाईनल अनुमोदित प्लान के अनुसार यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा संख्याः–6 (जोन–08)</u>
227 / 10.04.2015

विषयः– निजी खातेदारी गृ.नि.स. समित योजना कृष्णा सरोवर के भू.सं. 144,145,146 भूखण्ड के पुर्नगठन के संबंध में मामले के तथ्य।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार पुर्नगठन अनुमोदित किया जावे। पुर्नगठित भूखण्ड की 40 फिट सड़क की ओर का सैटबैक योजना मानचित्र के अनुसार 20 फिट रखा जावे तथा शेष सैटबैक प्रचलित भवन विनियम के अनुसार रखे जावें।

<u>एजेण्डा संख्याः–7 (जोन–09)</u>
227 / 10.04.2015

विषयः– निजी खातेदारी की योजना शिव ऑफिसर्स कॉलोनी ब्लॉक–ई के भूखण्ड संख्या ई–31, ई–32 व ई–33, के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार पुर्नगठन अनुमोदित किया जावे। पुर्नगठित भूखण्ड के लिए सैटबैक व अन्य पैरामीटर्स प्रचलित भवन विनियम अनुसार रखे जावें ।

<u>एजेण्डा संख्याः–8 (जोन–09)</u>
227 / 10.04.2015

विषयः– निजी खातेदारी की योजना शिव ऑफिसर्स कॉलोनी ब्लॉक–ई के भूखण्ड संख्या ई–5, ई–6 व ई–7 के पुर्नगठन आवासीय प्रयोजन हेतु किये जाने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार पुर्नगठन अनुमोदित किया जावे। पुर्नगठित भूखण्ड के लिए सैटबैक व अन्य पैरामीटर्स प्रचलित भवन विनियम अनुसार रखे जावें ।

एजेण्डा संख्याः–9 (जोन–12बी)
227 / 10.04.2015

विषयः– श्री बालाजी धाम मैंन के भूखण्ड सं. 245 और 246 आवासीय तथा बालाजी धाम द्वितीय के भूखण्ड संख्या बी–1 व बी–14 कुल क्षेत्रफल 1207.58 वर्गगज का पुनर्गठन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार पुर्नगठन अनुमोदित किया जावे। पुर्नगठित भूखण्ड के लिए सैटबैक व अन्य पैरामीटर्स प्रचलित भवन विनियम अनुसार रखे जावें ।

एजेण्डा संख्याः–10 (जोन–13)
227 / 10.04.2015

विषयः– निजी खातेदारी ग्राम कचेरवाला तह0 आमेर एकल पट्टा रिसोर्ट प्रयोजनार्थ। मैसर्स बायण कान्ट्रेक्टर्स एण्ड बिल्डर्स।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार पुर्नगठन अनुमोदित किया जावे। पुर्नगठित भूखण्ड के लिए सैटबैक व अन्य पैरामीटर्स प्रचलित भवन विनियम अनुसार रखे जावें ।

एजेण्डा संख्याः–11 (जोन–14)
227 / 10.04.2015

विषयः– ग्राम चितौडा तह. फागी जयपुर निजी खातेदारी की आवासीय योजना **"मैप्पल रेजीडेन्सी"** प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार योजना अनुमोदित कर दी जावे।

एजेण्डा संख्याः–12 (जोन–15)
227 / 10.04.2015

विषयः– निजी खातेदार योजना जयपुर ग्रीन के अनुमोदित मानचित्र में ब्लॉक नम्बर अंकित करवाने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार नव प्रस्तावित ब्लाक संख्या एवम नव प्रस्तावित भूखण्ड संख्या को अनुमोदित किया जावे।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–1 (जोन–5)</u>
227 / 10.04.2015

विषय :– श्री पुरम कॉलोनी विकास समिति द्वारा अम्बेडकर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्री पुरम कॉलोनी की भूखण्ड संख्या 87 से 90 के सामने सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 204.16 वर्गगज का एण्डयूज करवाने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र का उपयोग End use उच्च जलाशय – टंकी निर्माण हेतु निर्धारित किया जावे।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–2 (जोन–19)</u>
227 / 10.04.2015

विषय :– अमृत नगर के भूखण्ड संख्या 98–ए, 98–सी की लीजडीड, सहकारी समिति के संशोधित मानचित्र के अनुरूप जारी करने बाबत।

उपायुक्त जोन द्वारा एजेन्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या 98 ए, 98 बी व 98 सी को मौका स्थिती व संशोधित मानचित्र अनुसार लीजडीड जारी कर दी जावें।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–3 (जोन–19)</u>
227 / 10.04.2015

विषय :– हनुमान विहार योजना के भूखण्ड संख्या 101,101 ए, 102, 102 ए को यथावत रखते हुये नियमन कर पट्टा जारी करने के संबध में।

उपायुक्त जोन द्वारा एजेन्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया व समिति को पृथ्वीराज नगर की इस पूरी सडक का मानचित्र दिखाया गया । समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यह सड़क इस क्षेत्र में आवागमन हेतु आवश्यक है, अतएव इस सड़क को यथावत रखा जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–4
227 / 10.04.2015

नीतिगत निर्णय :–

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जयपुर में बढती हुई आबादी, वाहनो की संख्या, ट्रेफिक कन्जेशन इत्यादि को ध्यान में रखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिए भविष्य में प्रस्तावित आवासीय योजनाओं में न्यूनतम सड़कों की चौड़ाई 30 फिट के स्थान पर 40 फिट रखी जावें। साथ ही यह भी उचित समझा गया कि प्राधिकरण नयी आवासीय योजनाएं लाते समय 45 वर्ग मी. के भूखण्ड अन्य साइज के भूखण्डों वाली योजना के साथ मिश्रित न करे तथा 45 वर्ग मीटर के भूखण्डो हेतु यथासम्भव अलग योजना लाई जाए । इस हेतु सचिव महोदय के स्तर से आदेश जारी किया जाए तथा आदेश की प्रति राज्य सरकार को भी सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–5 (मास्टर प्लान / जोन–8)
227 / 10.04.2015

विषय :– सेक्टर प्लान की स्वीकृत 24 मीटर सडक के एलायन्मेंट में परिवर्तन करने बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात एजेण्डा में उल्लेख अनुसार 30 दिन की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नही होने के कारण 24 मीटर सडक का एलाइनमेंट जोन के प्रस्ताव अनुसार विद्यमान सडक पर किये जाने का निर्णय लिया । पूर्व में सेक्टर प्लान में सेक्टर कामर्शियल दर्शित था। अतः रोड के संशोधित एलायन्मेंट के अनुसार ही सेक्टर कामर्शियल दर्शाया जावें। मौके पर जहॉ भी रोड की चौडाई 24 मीटर से अधिक उपलब्ध है वहॉ रोड की चौडाई मौके पर उपलब्धानुसार अधिक रखी जावें।

13/4/15

सदस्य सचिव
बीपीसी (ले आउट प्लान)

क्रमांक :–जविप्रा / बीपीसी (एलपी) / 2015 / डी– 49 दिनांक :– 13/04/15

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / पुर्नवास / पी.आर.एन / एल.पी.सी / भूमि जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
6. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
7. उपायुक्त जोन...... .जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
10. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

वरिष्ठ नगर नियोजक,
बीपीसी (ले आउट प्लान)